तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज ओमाराम बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार लूणी) सू.अ.अ. अपील संख्या 172/2020	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.11.20	अपीलार्थी ओमाराम विश्नोई पुत्र हणूतराम, पता जम्भेश्वर नगर, बागड़ों की ढाणी, कांकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 21.08.20 में उसके द्वारा (1) ग्राम कांकाणी के राजस्व गांव श्री जम्भेश्वर नगर तहसील लूणी के खसरा नम्बर 411 रकबा 55.13 बीघा पर न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 54/2016 दिनांक 05.09.2016 पर जारी स्थगन आदेश तथा राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 46/2017 दिनांक 27.09.2017 अनवान सुआदेवी बनाम जयराम वगैरा है जिसमें यथास्थिति आदेश जारी किया गया है जो आज दिनांक तक प्रभाव में है एवं उक्त खसरे से संबंधित मूल दावा भी विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में आपके कार्यालय द्वारा दिनांक 01.01.2018 से सूचना उपलब्ध कराने की तिथि तक की गई कार्यवाही एवं न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा जारी आदेशों की प्रमाणित प्रतियां व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष [illegible] लूणी से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। अतः अपील स्वीकार की [illegible] तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार लूणी) को [illegible] है कि सूचना प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावें, अन्यथा सूचना [illegible] दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाये। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh Ind
Date: 2020.12.16 16:01:06 IST
Reason: SelfAttested